राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार , 19 फरवरी 2026

वर्ष 14,अंक 300, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

कोतवाली में ई रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत....03

दिल्ली के सदर बाजार में अवैध पटरी वालों का कब्जा सड़क पर अतिक्रमण जारी...12

रेप के दोषी की सज़ा घटाते हुए हाईकोर्ट ने कहा- पेनिट्रेशन नहीं, तो पूर्ण बलात्कार नहीं मान सकते

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले को 'बलात्कार की कोशिश' में बदलते हुए एक दोषी व्यक्ति की सज़ा सात साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर घटना के दौरान पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो इसे रेप नहीं, बल्कि रेप की कोशिश माना जाएगा. लाइव लॉ के मुताबिक, अदालत ने सोमवार (16 फरवरी) को 22 साल पुराने धमतरी जिले के एक बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुरुष के शिश्न (लिंग) को महिला के जननांग (वजाइना) के ऊपर रखना और फिर बिना प्रवेश (पेनिट्रेशन) के इजैक्युलेट करना (सीमेन गिराना) रेप नहीं है. इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत 'बलात्कार' नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह 'रेप की कोशिश' है, जिसमें आईपीसी की धारा 376/511 के तहत सज़ा सुनाई जानी चाहिए.

इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'आरोपी की नीयत आपराधिक और स्पष्ट थी, लेकिन पेनिट्रेशन

के ठोस प्रमाण न होने से यह अपराध धारा 376 के बजाय धारा 376/511 के अंतर्गत आएगा.'

उल्लेखनीय है कि बलात्कार का यह मामला 22 साल पुराना है. 2004 में धमतरी जिले में एक युवती के साथ बलात्कार किया गया था और 2005 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप का दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आरोपी द्वारा निचली अदालत के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चुनौती दी गई थी. इस मामले में अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि महिला को उनके घर से जबरन खींचकर आरोपी अपने घर ले गया था, वहां कपड़े उतारकर उनकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई थी, इतना ही नहीं, पीड़िता को कमरे में बंद कर हाथ-पैर बांध दिए गए थे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था, बाद में उनकी मां ने उन्हें छुड़ाया था.

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376(1) और 342 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. मामले के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया गया. प्रारंभिक बयान में पेनिट्रेशन का आरोप था, लेकिन बाद में पीड़िता ने स्वीकार किया कि आरोपी ने केवल अपना प्राइवेट पार्ट उनके वजाइना पर रखा था. डॉक्टर की रिपोर्ट में भी हाइमन सुरक्षित पाया गया. हालांकि, उनके प्राइवेट पार्ट्स और कपड़ों पर स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी. कोर्ट ने कहा कि ये तथ्य अपराध की कोशिश दर्शाते हैं, लेकिन इनसे पूर्ण बलात्कार सिद्ध होता.

अदालत ने फैसले में कहा कि पीड़िता की हाइमन सही सलामत थी और रेप के कोई पक्के निशान नहीं थे. क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पीड़िता ने स्वीकार किया कहा था कि पेनिट्रेशन नहीं किया गया. कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि आरोपी के खिलाफ रेप करने की कोशिश का अपराध बनता है क्योंकि पूर्ण नहीं लेकिन पार्शियल पेनिट्रेशन हो सकता है. उल्लेखनीय है कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं से जुड़े यौन अपराध मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियां परिवार और पूरे समाज पर 'डर पैदा करने वाला असर' डाल सकती हैं.अदालत की यह टिप्पणी 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क को यौन उत्पीड़न नहीं माने जाने और नाबालिग को ही अपनी 'इच्छाओं पर नियंत्रण' रखने की नसीहत के बाद सामने आई थी. तब अदालत ने साफ कहा था कि महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता. भाषा और न्याय, दोनों संवेदनशील होने चाहिए.

यूपीः निजी परिसर में नमाज़ पढ़ने से रोकने के लिए पुलिस, डीएम को हाईकोर्ट से मिला अवमानना नोटिस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 अक्टूबर) को बरेली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसके जनवरी के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश अदालत ने तारिक खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिका में रमज़ान महीने के मद्देनज़र अपने निजी परिसर में नमाज़ अदा करने की अनुमति मांगी गई थी. जब अदालत ने पूछा कि ऐसी याचिका क्यों दायर की गई, तो याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले महीने पुलिस ने उसी परिसर में कथित रूप से नमाज़ अदा करने के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया था. याचिकाकर्ता के वकील राजेश कुमार गौतम ने कहा कि उनके मुवक्किल ने डीएम और एसएसपी द्वारा निजी परिसर में नमाज़ की अनुमति संबंधी आवेदन खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के तहत डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस एसए सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा, 'राज्य के अधिवक्ता से अनुरोध है कि वे इस मामले में निर्देश प्राप्त करें... अगली सुनवाई की तिथि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई स्थगित रहेगी.'

मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है.

बीते 27 जनवरी को पारित अपने आदेश में हाईकोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि अधिकारियों को कई बार निवेदन करने के बावजूद अनुमति नहीं दी गई.

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को अपने निजी परिसर में सुविधा अनुसार प्रार्थना आयोजित करने का अधिकार है और इसके लिए राज्य सरकार से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, यदि सभा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति तक फैलती है, तो पुलिस को सूचित कर विधि अनुसार आवश्यक अनुमति लेनी होगी. अदालत ने यह भी कहा कि यदि सुरक्षा की आवश्यकता हो तो उसे किस प्रकार प्रदान किया जाए, यह राज्य के विवेक पर निर्भर करेगा. अदालत ने कहा था, 'लेकिन राज्य का यह दायित्व है कि वह हर हाल में याचिकाकर्ता की संपत्ति, अधिकारों और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे. यह कैसे किया जाए, यह पूरी तरह पुलिस के विवेक पर है.'

ज्ञात हो कि जनवरी में बरेली पुलिस ने कहा था कि उसे सूचना मिली थी कि मोहम्मदगंज गांव में एक निजी परिसर में समूह नमाज़ अदा कर रहा है, जिसके बाद 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था. अधिवक्ता गौतम ने दावा किया कि उन लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया. हालांकि मकान मालकिन ने मीडिया को बताया था कि उनका घर खाली पड़ा था और उन्होंने ही स्थानीय लोगों को अपने घर में नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी थी.

संक्षिप्त ख़बरें

दिल्ली में मोमो फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, अस्वच्छता और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

बाहरी दिल्ली। सफाई में गंभीर गड़बड़ियों के बावजूद मामूली जुर्माना लगाने के लिए आलोचना झेलने वाले नगर निगम ने अब मोमो फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। नगर निगम ने मंगोलपुरी के एक रिहायशी इलाके में चल रही पांच मोमो फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिल्डिंग ब्रांच और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को लिखा है। निगम ने हेल्थ डिपार्टमेंट को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा, निगम ने बिल्डिंग ब्रांच को रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दैनिक जागरण ने लगातार नगर निगम द्वारा कई गड़बड़ियों के बावजूद मोमो फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए हैं। आखिरकार नगर निगम ने अपना इरादा दिखा दिया है। 5 फरवरी को नगर निगम की सफाई ब्रांच ने मंगोलपुरी के एच-ब्लॉक में चल रही पांच मोमो फैक्ट्रियों पर छापा मारा। घनी आबादी वाले इलाके में स्थित इन फैक्ट्रियों में कई गड़बड़ियां पाई गईं। छापे के दौरान, नगर निगम की टीम ने पाया कि प्लास्टिक और कपड़े से ढकी जमीन पर मोमो बनाए जा रहे थे और वहां से मजदूर इधर-उधर जा रहे थे। इसके अलावा, किसी भी फैक्ट्री में किसी भी वर्कर ने ग्लव्स या सिर ढकने वाला कपड़ा नहीं पहना था। पांच में से तीन फैक्ट्री में 5-6 से लेकर 15 वर्कर काम करते पाए गए। एक फैक्ट्री का एंट्रेंस, जो एक घर की पहली मंजिल पर था, बहुत पतला (मुश्किल से तीन फीट) पाया गया, जिससे आग लगने पर लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। इन कई गड़बड़ियों के बावजूद, सभी पांच फैक्ट्रियों का चालान किया गया। बाद में उन पर सिर्फ़ 500-600 रुपये का फाइन लगाया गया। थोड़ा सा फाइन भरने के बाद, ये फैक्ट्रियां पहले की तरह चलती रहीं। दैनिक जागरण ने 15 फरवरी को छपी एक खबर में नगर निगम की कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया। न तो रेजिडेंशियल इस्तेमाल के नियमों के तहत कोई कार्रवाई की गई, न ही फैक्ट्री में बन रहे मोमोज, चपाती और दूसरी खाने की चीज़ों के सैंपल लिए गए। नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर ने बिल्डिंग ब्रांच और हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर जारी करके नियमों का उल्लंघन कर चल रही इन फैक्ट्रियों के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।

दो साल से ठप दिल्ली महिला आयोग को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के लंबे समय से निष्क्रिय होने और आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य पदों की रिक्तियों को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है. बार एडं बेंच के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने महिला आयोग के लंबे समय से ठप्प रहने पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि डीसीडब्ल्यू महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करता है और आयोग में सदस्यों और अध्यक्ष के रिक्त पदों को न भरने का कोई कारण नहीं हो सकता. अदालत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सत्यम ने बताया कि आयोग जनवरी 2024 से कार्य नहीं कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि डीसीडब्ल्यू कार्यालय बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले द वायर हिंदी ने दिसंबर 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित आईटीओ के विकास भवन का दूसरा फ्लोर, जो कभी दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय का पता हुआ करता था, लंबे समय से बंद पड़ा है. आयोग की आखिरी नियुक्त अध्यक्ष स्वाति मालिवाल थीं, जिन्होंने जनवरी 2024 को राज्यसभा जाने के लिए पद छोड़ा था. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अध्यक्ष समेत इसके मेंबर सेक्रेटरी और अन्य पद खाली पड़े हैं. इसके अलावा मई 2024 में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 'अनुचित' नियुक्ति का हवाला देते हुए आयोग में कार्यरत 223 संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया था. फरवरी 2025 में भाजपा सरकार आने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए थे, उन्होंने दिल्ली महिला आयोग को जल्द सक्रिय करने की बात भी कही थी, लेकिन वह अब तक आयोग के दफ़्तर पर लगा ताला नहीं खुलवा सकी हैं. सुधाकर सिंह की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग में कोई काम नहीं होता, न तो वहां कोई हेल्प डेस्क कार्यरत है और न ही कोई अधिकारी या स्टाफ महिलाओं की शिकायतों को सुनने वाला है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग कार्यदिवस के दौरान बंद रहता है, जिसकी वजह से सहयोगिनी फैमिली काउंसलिंग यूनिट, हेल्पडेस्क, रेप क्राइसिस सेल, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर और इससे जुड़े सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए हैं और महिलाओं को तत्काल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग का सक्रिय नहीं होना महिलाओं को न्याय और सुरक्षा पाने के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 का उल्लंघन है. दिल्ली में महिलाओं के साथ देशभर में सर्वाधिक मामले दर्ज होते हैं लेकिन उसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग का कार्यशील नहीं होना गंभीर बात है. याचिका में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि दिल्ली महिला आयोग को एक तय समयसीमा में कार्यशील बनाया जा सके और महिलाओं की शिकायतों का निपटारा किया जा सके. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली महिला आयोग में चेयरपर्सन के खाली पड़े पद को तुरंत भरा जाए और आयोग में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए.

इस संबंध में न्यायालय ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील समीर वशिष्ठ को निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया. वहीं, न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटी) की ओर से उपस्थित वकील से यह जानकारी प्राप्त करने को कहा जाए कि संबंधित अधिकारियों द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आयोग को बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.' इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

भावुक हुए दंपति! ट्रेन का रूट बदला तो खत्म हुआ दूध, तड़पते मासूम के लिए मसीहा बनी कोडरमा RPF

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोडरमा- भारतीय रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल पहरेदार ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों के लिए संकटमोचक भी हैं. कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की संवेदनशीलता के कारण एक मासूम बच्चे की जान में जान आई और असहाय माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटी.

रूट डायवर्ट होने से बढ़ी मुसीबत

वाकया अजमेर-संतरागाछी एक्सप्रेस का है. ट्रेन का रूट डायवर्ट होने की वजह से सफर उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया था. ट्रेन में सवार यात्री अब्दुस् शोवन और उनकी पत्नी के पास अपने नन्हे बच्चे के लिए रखा दूध और डायपर खत्म हो गया. बंद ट्रेन और अनजान रास्ते के बीच बच्चा भूख से बिलखने लगा. जब स्थिति बेकाबू होने लगी, तो परेशान माता-पिता ने रेल मदद एप्लीकेशन के जरिए अपनी गुहार लगाई.

एक्शन मोड में कोडरमा आरपीएफ

धनबाद नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलते ही कोडरमा आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने तुरंत मोर्चा संभाला. समय की नजाकत को देखते हुए एक टीम को फौरन दूध और डायपर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए. आरपीएफ टीम ने यात्री से संपर्क कर बच्चे के लिए जरूरी डेक्सोलेक मिल्क और सही साइज के डायपर का इंतजाम किया.

स्टेशन पहुंचते ही मिली राहत

जैसे ही अजमेर-संतरागाछी एक्सप्रेस कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी, ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान हाथ में दूध और डायपर का पैकेट लेकर संबंधित कोच तक पहुंच गए. ट्रेन रुकते ही बच्चे को दूध मिला जिससे वह शांत हुआ. अपने बच्चे को राहत में देख दंपति भावुक हो गए. उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. यात्री अब्दुस शोवन ने कहा कि जब सफर लंबा हुआ और बच्चे के लिए दूध खत्म हो गया, तो हम बेहद डर गए थे. लेकिन आरपीएफ ने जिस तत्परता से हमारी मदद की. उसके लिए हम उनके कोटि-कोटि आभारी हैं.

संवेदना और सुरक्षा का संगम

इस मानवीय कार्य की हर तरफ सराहना हो रही है. आरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करना भी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है. रेल मदद पोर्टल पर आने वाली हर छोटी-बड़ी शिकायत या जरूरत को पूरी गंभीरता से लिया जाता है. ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुखद रहे.

औरैया में बन रही सड़क पर दौड़ी सपा नेता की कार, हो गई FIR

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में निर्माणाधीन आरसीसी सड़क पर सपा का झंडा लगी कार निकालने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एरवाकटरा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर खास में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही सड़क पर वाहन दौड़ाने के आरोप में विभाग के जेई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है।

रामपुर खास गांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान एक सफेद रंग की चार पहिया गाड़ी, जिस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था, निर्माणाधीन हिस्से से गुजरती दिखाई दी. मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी. ऐसे में उस पर वाहन चलाने से सड़क की गुणवत्ता प्रभावित हुई और सरकारी धन से हो रहे निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचा।

वायरल वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला था. ट्वीट में लिखा गया था, जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है एक गुंडा।

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव के पदचिह्नों पर चलने वाले सपा नेता और कार्यकर्ता विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं. पार्टी ने इसे जनता और विकास विरोधी मानसिकता करार दिया था।

वहीं लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता प्रमोद प्रकाश ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रामपुर खास में 100 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य मैसर्स बालेंद्र सिंह भदौरिया ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है. 12 फरवरी 2026 को लगभग तीन बजे एक सफेद रंग की गाड़ी, जिसका नंबर क्र 75ङ्घ 0202 था, निर्माणाधीन सड़क से गुजरी, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई. फिलहाल पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के जेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि सड़क को कितना नुकसान हुआ और जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी।

बीजेपी राहुल को जेल भेजना चाहती थी, कर्नाटक HC ने मानहानि केस को ही वैध नहीं माना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। कर्नाटक बीजेपी ने जिस मानहानि के केस में राहुल गांधी को जेल भेजने की फिराक में थी, वो दरअसल क़ानूनी रूप से वैध ही नहीं था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के केस को खारिज कर दिया। इस तरह कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। यह केस 2020 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ़ से छपे विज्ञापनों को लेकर था। इन विज्ञापनों में तब की बीजेपी सरकार को '40' सरकार' कहा गया था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने यह फ़ैसला राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। इस याचिका में उन्होंने मानहानि केस की क़ानूनी वैधता पर सवाल उठाया था। बीजेपी की स्टेट यूनिट ने जून 2020 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखना लीगल एब्यूज़ माना जाएगा। कोर्ट ने केस को पूरी तरह ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह राजनीतिक आलोचना थी, जो लोकतंत्र में सामान्य है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना अपराध नहीं है।

2020 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस ने 5 मई 2020 को रा'य के सभी बड़े अख़बारों में पूरे पेज का विज्ञापन छपवाया। इस विज्ञापन का टाइटल था 'करप्शन रेट कार्ड'। इसमें दावा किया गया कि 2019-2020 की बीजेपी की सरकार ने ठेकेदारों से 40' कमीशन लिया और रा'य की जनता से 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा लूटे। इस विज्ञापन को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और तब विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने जारी किया था। राहुल गांधी ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया था। बीजेपी को यह बात बुरी लगी। उन्होंने जून 2020 में बेंगलुरु की मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज़ पढ़ने से रोकने के लिए डीएम और एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोह मद गंज गांव में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकने के लिए बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को कटे प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। [तारिक खान बनाम स्टेट ऑफ़ P × 2 अन्य] पिछले महीने, बेंच ने फैसला सुनाया था कि उत्तर प्रदेश में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में धार्मिक प्रार्थना सभा करने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, मोह मद गंज गांव के एक रहने वाले ने अधिकारियों पर फैसले का पालन न करने का आरोप लगाया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने रा'य के वकील से उस अर्जी पर निर्देश मांगने को कहा जिसमें अधिकारियों को जगह पर प्रार्थना में दखल देने से रोकने के लिए निर्देश मांगे गए थे।

कोर्ट ने आगे आदेश दिया, 'इस कोर्ट के 27.01.2026 के आदेश, जो मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ बनाम स्टेट ऑफ़ यू.पी. और 2 अन्य : 2026:AHC:18×64-DB में पास किया गया था, का उल्लंघन करने के लिए कटे प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के तहत रेस्पोंडेंट नंबर 2 और × को नोटिस जारी किया जाए। ' इसने आदेश दिया कि इस केस को 11 मार्च को टॉप टेन केस में नए के तौर पर लिस्ट किया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने पिटीशनर के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी।बेंच ने निर्देश दिया, 'लिस्टिंग की अगली तारीख तक, पिटीशनर के खिलाफ ज़बरदस्ती की कार्रवाई पर रोक रहेगी। ' कोर्ट ने पिछले महीने प्राइवेट जगह के अंदर प्रार्थना करने के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया था। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात पर ध्यान देने के बाद सुनाया गया था कि कानून में इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत मिले फंडामेंटल राइट का हिस्सा होने वाले काम को करने के लिए कानून के तहत इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, इसने यह भी साफ किया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि धार्मिक प्रार्थना सभा सिर्फ़ प्रॉपर्टी की प्राइवेट जगह के अंदर ही की जाए।यह फैसला 27 जनवरी को मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ और इमैनुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की दो ऐसी ही पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था।

माँ काली के भक्त से परमहंस तक का सफ़र

रामकृष्ण परमहंस का जीवन भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे बसे छोटे से ग्रामीण क्षेत्र कामारपुकुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय एक गरीब लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थेए जो गाँव में पूजा.पाठ और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते थे। माता चंद्रमणि देवी भी परम भक्तिमयी स्त्री थींए जिनकी गोद में बालक गदाधरकृरामकृष्ण का बाल नामकृको बचपन से ही ईश्वरीय ज्योति प्राप्त हुई। गदाधर बचपन से ही असामान्य थे। वे सामान्य बाल लीला में कम रुचि रखते थे और अधिकतर वन.उपवन में भगवान के दर्शन में लीन रहते। गाँव के लोगों को अक्सर देखते कि वे पेड़ों की डालियों पर चढ़कर नाचते.गाते या मिट्टी के रूप में देवी.देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करते। एक बार होली के अवसर पर वे श्रीकृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि नाचते.नाचते सामाधि की अवस्था में चले गएए जिससे गाँव वाले आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना ने उनके आध्यात्मिक गुणों का प्रारंभिक परिचय दिया। कामारपुकुर से मात्र छह वर्ष की आयु में वे पिता के निधन के बाद भी आनंदमय रहते। किशोरावस्था में वे भाई रामकुमार के साथ पश्चिमी बंगाल के दक्षिणेश्वर पहुँचे। दक्षिणेश्वर काली मंदिरए जो रानी रासमणि द्वारा निर्मित एक भव्य स्थल थाए हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ नवनिर्मित काली मंदिर में रामकुमार पुजारी थे। गदाधर ने भी पूजा.अर्चना में सहायता की। धीरे.धीरे वे मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। माँ काली के प्रति उनकी भक्ति अथाह थी। वे मंदिर में पहुँचते ही माँ के चरणों में सिर झुकाते और घंटों भजन.कीर्तन में लीन हो जाते। एक बार उन्होंने माँ काली से भोजन माँगा तो माँ ने स्वयं भोजन परोस दिया। ऐसी अनेक लीलाएँ उनके जीवन में घटित हुई जो सिद्ध संत के प्रमाण हैं। रामकृष्ण को माँ काली के दर्शन हुए। वे कहतेए ष्माँ काली मेरी माँ हैंए वे मुझे भोजन कराती हैंए स्नान कराती हैं।ष् उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि वे रात.दिन माँ के चिंतन में रहते। कभी.कभी वे मंदिर छोड़कर जंगल में चले जाते और पेड़ों पर चढ़कर माँ को पुकारते। इस तीव्र साधना से वे शारीरिक रूप से दुर्बल हो गएए लेकिन आध्यात्मिक ऊँचाइयों को छू लिया। रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा विविध मार्गों से होकर गुजरी। प्रथम वे शाक्त साधना में लीन हुए। भैरवी ब्राह्मणी नामक एक विदुषी साधिका उनके पास पहुँचीं और उन्हें तंत्र साधना का उपदेश दिया। उन्होंने चण्डी पाठए देवी महात्म्य का पाठ किया और श्मशान साधना में प्रवेश किया। श्मशान में साधना करते हुए उन्हें अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हुईंए किंतु वे कभी उनका उपयोग नहीं किया। इसके पश्चात् उन्होंने वैष्णव साधना अपनाई। राधा.कृष्ण भक्ति में वे इतने तल्लीन हुए कि स्वयं को राधा समझने लगे। वे कहतेए मैं राधा हूँए गोपियों में एक गोपी।ष् इस साधना से उन्हें विराट रास का दर्शन हुआ। तत्पश्चात् उन्होंने इस्लाम धर्म का अभ्यास किया। एक सूफी संत के मार्गदर्शन में उन्होंने अल्लाह का स्मरण किया और अल्लाह का दर्शन प्राप्त किया। ईसाई धर्म की साधना में बाइबिल पढ़ी और जीसस क्राइस्ट का दर्शन हुआ। अंत में तोतापुरी नामक नगा साधु उनके पास आए। तोतापुरी ने उन्हें अद्वैत वेदांत का उपदेश दिया। रामकृष्ण ने पंचवटी में निराकार ब्रह्म की साधना की। तोतापुरी ने कहाए ष्यह काली रूपी अज्ञान को काट डालो।ष् रामकृष्ण ने नेत्र बंद कर निराकार सत्य को देखा। परंतु माँ काली के प्रति प्रेम के कारण नेत्र खुलते ही माँ दिखीं। तोतापुरी ने 6 दिनों तक प्रयास किया और अंत में रामकृष्ण को समाधि प्राप्त हुई। इस प्रकार उन्होंने सभी धर्मों का साधना कर एक ही परम सत्य की प्राप्ति की। उनका प्रसिद्ध कथन हैए ष्जितने मतए तितने पथ। अर्थात् जितने मत हैंए उतने ही मार्ग ईश्वर तक पहुँचने के। वे कहते जैसे विभिन्न नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैंए वैसे सभी धर्म ईश्वर तक पहुँचाते हैं।

रामकृष्ण का व्यक्तिगत जीवन भी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। उनका विवाह सारदा देवी से हुआए जो मात्र 5 वर्ष की थीं। विवाह मात्र नाममात्र का था। सारदा देवी बाद में उनकी आध्यात्मिक सहधर्मिणी बनीं और रामकृष्ण मिशन में माँ शारदा के रूप में पूजनीय हुईं। रामकृष्ण कहतेए ष्सारदा मेरी शक्ति हैं।ष् वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए संन्यासी के समान ब्रह्मचर्य का पालन करते। उनके भतीजे हृदय ने उनके दैनिक कार्यों में सहायता की। रामकृष्ण को भक्तों के बीच भवसमाधि की अवस्था आ जाती। भवसमाधि में वे ईश्वरानुभूति में डूब जाते। केशव चंद्र सेन जैसे ब्रह्म समाज के विद्वान उनके दर्शन को आते। रामकृष्ण ब्रह्म समाज को प्रेम पूर्वक उपदेश देते। वे कहतेए ष्भगवान भक्ति के बिना ज्ञान नहीं।ष् उनके उपदेश सरलए ग्रामीण भाषा में होतेए किंतु गहन अर्थपूर्ण। वे कहानियोंए दृष्टांतों से समझाते। जैसे ष्मछली जाल में फँस जाती हैए किंतु पानी को कभी नहीं छोड़ती। वैसे भक्त संसार के जाल में फँसकर भी ईश्वर को नहीं छोड़ता। रामकृष्ण के जीवन में विवेकानंद का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। नरेंद्रनाथ दत्त नामक युवाए जो ब्रह्म समाज से जुड़े थेए उनके पास संशय लेकर आए। रामकृष्ण ने कहाए ष्हाँए ईश्वर हैं।ष् धीरे.धीरे नरेंद्र उनके प्रमुख शिष्य बने। रामकृष्ण ने उन्हें संन्यास का उपदेश दिया। अन्य शिष्य जैसे राकहलए बाबुरामए निरंजनानंद आदि भी उनके चरणों में बैठे। रामकृष्ण ने कहाए ष्मेरे शिष्य जगत के कल्याण के लिए जन्मे हैं। 1885 में उन्हें गले का कर्करोग हुआ। वे कोसिपुर उद्यान बारी में रहे। वहाँ भक्तों ने सेवा की। अंतिम दिनों में वे शिष्यों को उपदेश देते रहे। 16 अगस्त 1886 को वे महासमाधि को प्राप्त हुए। मृत्यु से पूर्व उन्होंने विवेकानंद को मिशन का उत्तराधिकारी बनाया।

रामकृष्ण की विरासत रामकृष्ण मिशन के रूप में आज विश्वव्यापी है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसकी स्थापना की। मिशन शिक्षाए चिकित्साए आपदा राहतए ग्रामीण विकास में सक्रिय है। रामकृष्ण मठ विश्व भर में हैं। उनके उपदेश श्श्री रामकृष्ण कथामृतश् में संकलित हैंए जो महेंद्रनाथ गुप्त ;श्रीमद्ध द्वारा लिखित है। यह ग्रंथ उनके संवादों का संग्रह है। रामकृष्ण ने वेदांत को आधुनिक रूप दिया। वे कहतेए ष्नर से नारायण बनना।ष् अर्थात् मनुष्य को ईश्वर प्रकट करना। उनके विचार सभी धर्मों के प्रति समावेशी हैं। आज के विभाजित समाज में उनकी एकता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। महात्मा गांधीए रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष उनके अनुयायी रहे। विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में रामकृष्ण के संदेश को विश्व पटल पर पहुँचाया। रामकृष्ण का जीवन प्रमाणित करता है कि सच्ची साधना सीमाओं से परे होती है। वे न तो विद्वान थेए न लेखकए किंतु उनके हृदय से निकले वचन अमर हैं। उनके कुछ प्रमुख वचन हैंकृ ष्भगवान को पाने के लिए भूखे श्वान की भाँति रोओ।ष् ष्ईश्वर भजन के बिना नहीं मिलते।ष् ष्स्त्री जाति को देवी समझो।ष् ष्जो कामना रहित हैए वही सच्चा भक्त।ष् रामकृष्ण का जीवन एक दर्पण हैए जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। वे कहतेए ष्मैं कोई अवतार नहींए केवल भक्त हूँ।ष् किंतु उनके अनुयायी उन्हें अवतार मानते। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज तीर्थस्थल है। वहाँ उनके चित्र से दर्शन होते हैं। कामारपुकुर में जन्मभूमि मंदिर है। विश्व भर में रामकृष्ण जयंती धूमधाम से मनाई जाती। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि भक्तिए ज्ञानए कर्म सभी मार्ग ईश्वर तक ले जाते। आज के भौतिकवादी युग में रामकृष्ण का संदेश आध्यात्मिक जागरण का माध्यम है। उनका जीवन सिद्ध करता है कि साधारण मनुष्य भी परम सत्य प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस अमर हैं।

महेन्द्र तिवारी

संपादकीय

किम सत्ता का उत्तराधिकार परिवार शक्ति और भविष्य की राजनीति

उत्तर कोरिया की राजनीति एक बार फिर उत्तराधिकार के सवाल पर केंद्रित हो गई है। 42 वर्षीय नेता किम जोंग-उन की सेहत को लेकर समय-समय पर उठने वाले प्रश्नों और उनकी 13 वर्षीय बेटी किम जू-ऐ की बढ़ती सार्वजनिक उपस्थिति ने अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही उनकी छोटी बहन किम यो-जोंग भी सत्ता समीकरण में एक मजबूत दावेदार मानी जाती हैं। ऐसे में यह बहस तेज है कि यदि अचानक सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है तो उत्तर कोरिया की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। उत्तर कोरिया में सत्ता हस्तांतरण की परंपरा कोई नई नहीं है। देश के संस्थापक किम इल-सुंग के बाद उनके पुत्र किम जोंग-इल और फिर उनसे आगे किम जोंग-उन ने नेतृत्व संभाला। इस वंशानुगत व्यवस्था ने कम्युनिस्ट ढांचे के भीतर भी एक राजवंशीय मॉडल स्थापित कर दिया। इसलिए जब किम जोंग-उन अपनी बेटी को सैन्य परेडों और रणनीतिक कार्यक्रमों में साथ लाने लगे तो इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा गया।

किम जू-ऐ पहली बार 2022 में अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के दौरान सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं। इसके बाद वह कई महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक आयोजनों में दिखाई दीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम उम्र में इस तरह की मौजूदगी केवल पारिवारिक प्रदर्शन नहीं बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक संकेत हो सकता है। हालांकि उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए तत्काल नेतृत्व संभालना व्यावहारिक रूप से कठिन माना जाता है। दूसरी ओर किम यो-जोंग लंबे समय से सत्ता के केंद्र में सक्रिय हैं। वे कोरियाई वर्कर्स पार्टी के संगठन और मार्गदर्शन विभाग में प्रभावशाली भूमिका निभा चुकी हैं और देश की नीतिगत घोषणाओं में प्रमुख चेहरा रही हैं। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक के दौरान दक्षिण कोरिया में उनकी उपस्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शिखर कूटनीति की पृष्ठभूमि में उनकी भूमिका ने उनकी राजनीतिक हैसियत को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। उन्हें अक्सर अपने भाई की रणनीतिक सलाहकार और छवि प्रबंधक के रूप में देखा जाता है।

दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने संकेत दिया है कि यदि तत्काल सत्ता खाली होती है तो सबसे तैयार चेहरा किम यो-जोंग हो सकती हैं। उनकी उम्र अनुभव और पार्टी तथा सेना पर पकड़ उन्हें स्वाभाविक दावेदार बनाती है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर कोरिया की सत्ता संरचना अत्यंत केंद्रीकृत है और शीर्ष नेता के इर्द-गिर्द ही निर्णय प्रक्रिया चलती है। ऐसे में सत्ता संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

उत्तर कोरिया की राजनीतिक प्रणाली में परिवार की भूमिका सर्वोपरि रही है। सत्ता केवल प्रशासनिक नियंत्रण नहीं बल्कि वैचारिक प्रतीक भी है। किम परिवार को राष्ट्र की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण उत्तराधिकार का प्रश्न केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि शासन की स्थिरता से भी जुड़ा है। यदि बेटी को भविष्य के नेता के रूप में तैयार किया जाता है तो संभव है कि प्रारंभिक वर्षों में एक सामूहिक नेतृत्व मॉडल अपनाया जाए जिसमें किम यो-जोंग जैसी वरिष्ठ हस्तियां मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ भी इस बहस को प्रभावित करता है। 2018 में सिंगापुर और हनोई में हुई शिखर वार्ताओं ने उत्तर कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में नई दिशा दी थी। ट्रम्प और किम जोंग-उन की मुलाकातों ने दशकों पुराने तनाव को कुछ हद तक कम किया। हालांकि परमाणु निरस्त्रीकरण पर ठोस प्रगति नहीं हुई, फिर भी संवाद की राह खुली। कोविड-19 महामारी के बाद उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं लगभग बंद कर लीं जिससे देश और अधिक अलग-थलग हो गया। अमेरिका में प्रशासन परिवर्तन के बाद संबंधों में उतार-चढ़ाव आया। लेकिन क्षेत्रीय भू-राजनीति विशेषकर चीन और रूस के साथ उत्तर कोरिया की निकटता ने उसे कूटनीतिक संतुलन बनाने का अवसर दिया। यदि भविष्य में किम जू-ऐ नेतृत्व संभालती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे सैन्य सख्ती और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन स्थापित करें। वहीं यदि किम यो-जोंग सत्ता में आती हैं तो संभव है कि वर्तमान नीतियों की निरंतरता अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

किम जोंग-उन की सेहत को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में समय-समय पर अटकलें लगती रही हैं। उनका बढ़ता वजन और जीवनशैली संबंधी खबरें चर्चा का विषय बनती हैं, हालांकि प्योंगयांग से आधिकारिक जानकारी बहुत सीमित आती है। उनके पिता किम जोंग-इल की मृत्यु भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं राजनीतिक विश्लेषण से जुड़ जाती हैं। उत्तराधिकार का प्रश्न केवल उत्तर कोरिया की आंतरिक राजनीति का विषय नहीं है। यह पूर्वी एशिया की सुरक्षा संरचना और वैश्विक शक्ति संतुलन से भी जुड़ा है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका सभी इस संभावित परिवर्तन पर नजर रखे हुए हैं। पांच वर्षीय पार्टी सम्मेलन जैसे बड़े राजनीतिक आयोजनों में यदि किम जू-ऐ को औपचारिक भूमिका मिलती है तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि दीर्घकालिक तैयारी शुरू हो चुकी है।

इतिहास बताता है कि उत्तर कोरिया में सत्ता परिवर्तन अचानक कम और योजनाबद्ध अधिक रहा है। किम जोंग-उन को भी अपने पिता के जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए यदि वे अपनी बेटी को आगे लाना चाहते हैं तो आने वाले वर्षों में उनके सार्वजनिक कद और राजनीतिक जिम्मेदारियों में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है।

फिलहाल स्थिति यह संकेत देती है कि तात्कालिक परिदृश्य में किम यो-जोंग सबसे सक्षम विकल्प हैं, जबकि दीर्घकाल में किम जू-ऐ को एक प्रतीकात्मक और संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। उत्तर कोरिया की बंद राजनीतिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय केवल शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। इसलिए दुनिया की निगाहें प्योंगयांग पर टिकी रहेंगी कि किम परिवार की अगली पीढ़ी सत्ता की इस विरासत को किस दिशा में ले जाती है।

सीधे भारत मंडपम से... क्या AI के क्षेत्र में दुनिया को पछाड़ पाएगा भारत?

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे वैश्विक एआई सम्मेलन में दो दिन से चल रहे विचार मंथन से एक बात उभर कर आई है कि एआई के समक्ष खड़ी चुनौतियों के हल के लिए दुनिया भारत की ओर निहार रही है। देखना होगा कि सम्मेलन के अंत में दिल्ली डिक्लेरेशन से क्या निकल कर आता है। लेकिन यहां एक ओर बात की आवश्यकता महसूस हुई कि भारत को यदि इस क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करना है तो बड़े निवेश और सरल तथा प्रभावी नीतियों की भी जरूरत है। देखा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल नई तकनीक का आकर्षण नहीं रही, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, उद्योग, ऊर्जा, नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुकी है। दुनिया के बड़े देश इसे रणनीतिक साधन की तरह देख रहे हैं। डाटा, कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप आज के दौर का नया तेल बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के सामने मूल प्रश्न यह है कि वह एआई की दौड़ में केवल उपभोक्ता बन कर रहेगा या निर्माता और नेता की भूमिका निभाएगा।

भारत ने पहले भी तकनीकी मोड़ पर सही फैसले लेकर इतिहास बदला है। नब्बे के दशक में सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर जोर देने से लाखों रोजगार बने, भारतीय कंपनियां दुनिया भर में छा गई और देश को नई पहचान मिली। आज एक वैसा ही मोड़ फिर सामने है, लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है। एआई न केवल सेवाओं को, बल्कि कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, दवा उद्योग, परिवहन और ऊर्जा व्यवस्था तक को बदल सकती है। यह समझना जरूरी है कि एआई एक ही तरह की चीज नहीं है। उपभोक्ता एआई, जैसे चैट टूल या मनोरंजन आधारित अनुप्रयोग, तेजी से लोकप्रिय होते हैं, पर इन पर अक्सर कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा हो जाता है। इसके विपरीत औद्योगिक एआई हर क्षेत्र के लिए अलग समाधान मांगती है। हर उद्योग का अपना डाटा, अपनी समस्या और अपना कामकाज होता है। इसलिए क्षेत्र विशेष मॉडल बनते हैं। यही भारत की ताकत बन सकती है, क्योंकि यहां उद्योगों की विविधता और पैमाना दोनों मौजूद हैं। उदाहरण के लिए दो पहिया वाहन उद्योग को लें। भारत दुनिया के सबसे बड़े दो पहिया बाजारों में है। यह क्षेत्र रोजगार, शहरीकरण और आय वृद्धि से जुड़ा है। अब इलेक्ट्रिक दो पहिया का चलन भी बढ़ रहा है। ऐसे में एआई आधारित मांग अनुमान, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता जांच और आपूर्ति प्रबंधन से भारी लाभ हो सकता है। मशीन लर्निंग सिस्टम खराबी का पहले ही संकेत दे सकते हैं। इससे ठहराव घटता है, लागत कम होती है और उत्पादन तेज होता है। दवा उद्योग में भी अवसर विशाल हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, पर गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती रहता है। एआई आधारित विजन सिस्टम उत्पादन के दौरान सूक्ष्म दोष पकड़ सकते हैं। डाटा विश्लेषण से प्रक्रिया स्थिर रखी जा सकती है। रोबोटिक ऑटोमेशन दोहराव वाले काम सुरक्षित और सटीक तरीके से कर सकता है। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ऊंचे मूल्य वाले बाजार खुलेंगे। लेकिन एआई की ताकत केवल सॉफ्टवेयर से नहीं आती, इसके लिए भारी कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए, जो उन्नत चिप यानी जीपीयू से मिलती है। ये चिप बहुत महंगी होती हैं। एक उन्नत जीपीयू की कीमत लाखों रुपये तक जा सकती है। भारत ने हजारों जीपीयू लगाए हैं और डाटा केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष डाटा केंद्रों ने बिजली ग्रिड से भारी मात्रा में बिजली ली, जो किसी बड़े शहर की मांग के बराबर बैठती है। आने वाले वर्षों में यह मांग कई गुना बढ़ सकती है। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता का संकेत है, पर साथ ही ऊर्जा चुनौती का भी। अगर भारत को एआई में अग्रणी बनना है तो केवल कुछ हजार जीपीयू काफी नहीं होंगे। अमेरिका आज भी इस क्षेत्र में आगे है। उसके पास विशाल डाटा केंद्र क्षमता है और वह उन्नत जीपीयू की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है। इसी कारण वह तकनीकी बढ़त बनाए हुए है। चीन को रोकने की रणनीति में भी चिप आपूर्ति अहम रही है। चीन ने भी इस दौड़ को बहुत पहले समझ लिया था। उसने चिप निर्माण में भारी निवेश किया। उसकी बड़ी तकनीकी कंपनियां अपने एआई चिप बना रही हैं। भले वे अभी सबसे उन्नत स्तर पर न हों, पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी बड़ी तकनीकी कंपनियां खुद चिप डिजाइन में उतर चुकी हैं। ऐसे माहौल में यदि भारत केवल पुराने स्तर की चिप बनाता रह गया तो वह पीछे छूट सकता है। तो क्या समाधान है? क्या हमें अपनी आकांक्षा घटा लेनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अभी विकसित देशों से कम है। जैसे जैसे लोग समृद्ध होंगे, उन्हें घरों में अधिक बिजली चाहिए होगी। अगर एआई के कारण बिजली महंगी हुई तो जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। यह चिंता सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं। दरअसल जरूरत बड़े सोच की है। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, घरेलू चिप निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश और कौशल विकास जरूरी है। दूसरा, ऊर्जा ढांचा मजबूत करना। नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बेहतर ग्रिड और भंडारण तकनीक पर जोर देना होगा ताकि डाटा केंद्रों की मांग पूरी हो सके। इसके साथ ही एआई का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। मध्यम और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। इसके लिए साझा प्लेटफॉर्म, क्लाउड ढांचा और क्षेत्र विशेष समाधान जरूरी हैं। सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों को मिल कर काम करना होगा। शोध संस्थान मॉडल विकसित करें, उद्योग वास्तविक समस्याएं और डाटा दें, और सरकार नियम, प्रोत्साहन तथा अवसंरचना दे। भारत को ऐसे नेतृत्व की भी जरूरत है जो अलग अलग पक्षों को जोड़ सके और भरोसा बना सके। एआई को नौकरी छीनने वाली नहीं, बल्कि नई क्षमता देने वाली तकनीक के रूप में समझाना होगा। कौशल प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण और शिक्षा सुधार पर जोर देना होगा। बहरहाल, अब सवाल यह है कि एआई की दिशा कौन तय करेगा? अगर भारत ने समय रहते साहसिक फैसले लिए, चिप निर्माण, ऊर्जा ढांचा और औद्योगिक एआई पर जोर दिया, तो वह केवल तकनीक का बाजार नहीं रहेगा, बल्कि दिशा देने वाला देश बन सकता है। आईटी क्रांति ने भारत को विश्व मंच पर जगह दी थी। एआई और उन्नत कंप्यूटिंग भारत को आर्थिक शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के नए दौर में पहुंचा सकती है। अवसर हमारे सामने है। अब निर्णय और क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है।

कांग्रेस में अनुशासन संकट और नेतृत्व पर उठते सवाल

भारतीय राजनीति में दलों के भीतर मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ये मतभेद सार्वजनिक मंचों से तीखे व्यक्तिगत हमलों में बदल जाएं, तो उनका असर केवल पार्टी की छवि तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। हाल के दिनों में मणिशंकर अय्यर, पवन खेड़ा और जयराम रमेश के बीच चला बयानबाजी का दौर इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। इस विवाद ने कांग्रेस के भीतर अनुशासन, नेतृत्व और वैचारिक स्पष्टता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि केरल की राजनीति से जुड़ी है, जहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की संभावित वापसी को लेकर बयान सामने आया। कांग्रेस लंबे समय से केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से सत्ता में वापसी का प्रयास करती रही है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रतिद्वंद्वी मोर्चे के नेता की प्रशंसा और उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी करना स्वाभाविक रूप से विवाद का कारण बना। पार्टी प्रवक्ता की ओर से यह कहा जाना कि संबंधित नेता व्यक्तिगत क्षमता में बोल रहे हैं और उनका पार्टी से औपचारिक संबंध सक्रिय नहीं है, आग में घी डालने जैसा साबित हुआ।

इसके बाद जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, उसने राजनीतिक असहमति को व्यक्तिगत कटाक्षों में बदल दिया। किसी को कठपुतली या तोता कहना, पार्टी सहयोगियों को राउडी बताना या सार्वजनिक रूप से यह कहना कि यदि निकाला गया तो प्रतिशोध लेंगे, यह सब उस राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है जिसमें संयम और संवाद की जगह उत्तेजना और आक्रोश ले लेते हैं। लोकतांत्रिक दलों में असहमति स्वाभाविक है, परंतु असहमति की अभिव्यक्ति का भी एक मर्यादित तरीका होता है। जब वरिष्ठ नेता ही मर्यादा की सीमाएं लांघते दिखें, तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को क्या संदेश जाता है, यह विचारणीय है।

कांग्रेस एक ऐतिहासिक दल है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की विरासत का दावा करने वाला दल यदि अपने ही नेताओं के बीच सार्वजनिक कटुता से जूझता दिखे, तो मतदाताओं में भ्रम और निराशा स्वाभाविक है। आज जब भारतीय राजनीति अत्यंत प्रतिस्पर्धी और ध्रुवीकृत हो चुकी है, तब किसी भी दल के लिए आंतरिक एकजुटता उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।

नेतृत्व का प्रश्न भी इस पूरे विवाद के केंद्र में है। पार्टी के भीतर यह धारणा बनना कि कौन गांधीवादी है, कौन नेहरूवादी है और कौन किस नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध है, यह वैचारिक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जब यह बहस सार्वजनिक मंच से चुनौती और कटाक्ष के रूप में सामने आए, तो वह संगठनात्मक अनुशासन को कमजोर करती है। किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व के प्रति असहमति दर्ज कराने के औपचारिक मंच होते हैं–कार्यसमिति, समन्वय बैठकें, आंतरिक संवाद। यदि इन मंचों की बजाय मीडिया और सार्वजनिक सभाओं को माध्यम बनाया जाए, तो संदेश यही जाता है कि पार्टी के भीतर संवाद की प्रक्रिया कमजोर है।

इस प्रकरण का एक व्यापक राजनीतिक आयाम भी है। विपक्षी दल ऐसे बयानों को तुरंत लपकते हैं और यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि पार्टी के भीतर नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। इससे न केवल पार्टी की साख पर असर पड़ता है, बल्कि गठबंधन राजनीति में भी उसकी स्थिति कमजोर होती है। केरल जैसे राज्यों में जहां बहुकोणीय मुकाबला है, वहां विपक्षी एकता और स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता और भी अधिक होती है। यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही अलग-अलग सुर में बोलते दिखें, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। कांग्रेस के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि संगठन को पुनर्गठित करने और कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने की भी है। पिछले वर्षों में कई वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना या निष्क्रिय हो जाना यह संकेत देता है कि भीतर कहीं संवाद और संतुलन की कमी रही है। अनुशासन केवल दंडात्मक कार्रवाई से स्थापित नहीं होता, बल्कि पारदर्शी संवाद, स्पष्ट जिम्मेदारी और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से बनता है। यदि कोई नेता पार्टी लाइन से अलग बयान देता है, तो पहले आंतरिक स्तर पर बात होनी चाहिए। सार्वजनिक फटकार या सार्वजनिक अपमान स्थिति को और बिगाड़ता है।

राजनीति में शब्दों का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक कठोर टिप्पणी क्षणिक संतोष दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल में वह संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाती है। मतदाता केवल नीतियों और घोषणाओं को नहीं देखते, बल्कि नेताओं के व्यवहार और भाषा को भी परखते हैं। जब मंच से अभद्रता या व्यक्तिगत हमले दिखाई देते हैं, तो आम नागरिक यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या यही राजनीतिक संस्कृति देश को दिशा देगी।

कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन का है। उसे यह तय करना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सार्वजनिक बयानबाजी के आधार पर आगे बढ़ेगी या सामूहिक नेतृत्व और अनुशासन के आधार पर। संगठन के भीतर मतभेदों को स्वीकार करते हुए भी एक साझा सार्वजनिक रुख अपनाना आवश्यक है। पार्टी को अपने प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि संदेश स्पष्ट और एकसमान रहे।

अंततः किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती उसके विचार, संगठन और अनुशासन से तय होती है। यदि कांग्रेस को अपने गिरते जनाधार को पुनर्जीवित करना है, तो उसे शांत चित्त से सोचकर संगठनात्मक सुधार, नेतृत्व की स्पष्टता और संवाद की संस्कृति को मजबूत करना होगा। सार्वजनिक मंचों से कटाक्ष और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति अल्पकालिक सुर्खियां तो दिला सकती है, परंतु दीर्घकाल में वही दल सफल होता है जो संयम, एकजुटता और स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ता है। कांग्रेस के सामने आज यही सबसे बड़ी परीक्षा है।

कांतिलाल मांडोत

भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान शिक्षा: सोच-समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता

भारतीय शिक्षा जगत में 'भारतीय ज्ञान परंपरा' का पुनरुत्थान निश्चय ही एक स्वागतयोग्य पहल है। यह केवल अतीत के गौरव का स्मरण नहीं, बल्कि बौद्धिक आत्मविश्वास के पुनर्निर्माण का प्रयास भी है। किंतु इसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करेगी कि श्रद्धा और तर्क के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाता है। विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य किसी परंपरा को भावनात्मक आग्रह से स्वीकार करना नहीं, बल्कि परीक्षण, प्रमाण और तार्किक सुसंगति के आधार पर सत्य की खोज करना है। अतः विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसे वर्तमान संदर्भ में विवेकपूर्ण ढंग से पुनर्जीवित किया जाए। आज मूल प्रश्न यह नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में स्थान मिले या नहीं, बल्कि यह है कि उसका स्वरूप, मानक और सीमाएँ क्या हों। भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुस्तरीय अवधारणा है, जिसमें गणित, खगोल, आयुर्वेद, कृषि, पर्यावरण, वास्तुकला और अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान-सम्मत विषय भी सम्मिलित हैं; साथ ही दर्शन, परा-चेतना और जीवन-शैली संबंधी चिंतन भी इसका हिस्सा है। इस समग्र ज्ञान को बिना विवेक के 'विज्ञान' के एक ही साँचे में ढालना न तो अकादमिक दृष्टि से उचित है और न ही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हितकर। इसलिए विषय-वस्तु का श्रेणीबद्ध वर्गीकरण अनिवार्य प्रतीत होता है। विज्ञान शिक्षा की दृष्टि से भारतीय ज्ञान संपदा को पाँच श्रेणियों में समझा जा सकता है। पहली श्रेणी में वह ज्ञान और खोजें आती हैं, जो आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः प्रमाणित हैं। इसमें आर्यभट्ट से लेकर आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों–जैसे जगदीश चंद्र बसु, सी. वी. रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाद साहा, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, श्रीनिवास रामानुजन, वेंकटरमन रामकृष्णन और ए. पी. जे. अब्दुल कलाम–के वैज्ञानिक योगदान सम्मिलित हैं। इनके प्रमाणित शोधों को पाठ्यक्रम में प्रमुखता देना न केवल न्यायसंगत होगा, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक आत्मविश्वास भी विकसित करेगा। दूसरी श्रेणी में वे प्राचीन भारतीय अवधारणाएँ रखी जा सकती हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, किंतु जिनसे वैज्ञानिक चिंतन को वैचारिक प्रेरणा मिलती है। सांख्य दर्शन का प्रकृति-परिवर्तन सिद्धांत, उपनिषदों का ऊर्जा-चेतना संबंध, रस-शास्त्र की धातु अवधारणाएँ अथवा दशावतार में विकास की प्रतीकात्मक कल्पना–इन सभी को ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि स्थापित वैज्ञानिक सत्य के रूप में। तीसरी श्रेणी में वे विषय आते हैं, जो प्रथम दृष्टया विज्ञान-सम्मत प्रतीत होते हैं, किंतु जिनका वैश्विक प्रमाणीकरण अभी शेष है, जैसे आयुर्वेद के कुछ उपचार, पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ अथवा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ वैज्ञानिक-तकनीकी दावे। इन्हें अंतिम सत्य के रूप में नहीं, बल्कि संभावित अनुसंधान विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अंधानुकरण के बजाय वैज्ञानिक परीक्षण की ओर प्रवृत्त हों। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालय भारतीय ग्रंथों में निहित विज्ञान-सम्मत तथ्यों को समझने और प्रमाणित करने में लगे हैं–ऐसे में भारत का पीछे रह जाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चतुर्थ श्रेणी दार्शनिक और प्रतीकात्मक चिंतन की है, जैसे सांख्य और वैशेषिक दर्शन। इनका उद्देश्य जीवन-दृष्टि प्रदान करना रहा है, अतः इन्हें विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों के बजाय 'विज्ञान का इतिहास और दर्शन' जैसे पाठ्यक्रमों में स्थान देना अधिक उपयुक्त होगा। पाँचवीं श्रेणी में भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन-संघर्ष और प्रेरक कथाएँ सम्मिलित की जानी चाहिए, जिससे यह संदेश मिले कि भारत में रहते हुए भी विश्वस्तरीय शोध संभव है। यह भी स्मरणीय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों और शोध संस्थानों ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय अनुसंधान किए हैं। इन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर देशज अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विशेष ध्यान देने योग्य पहलू है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों लेखकों ने इस परंपरा से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर न केवल पुस्तकें, अध्याय एवं शोध-लेख आदि का लेखन किया है(जिनका वैज्ञानिक कसौटी पर परीक्षण अभी शेष है)बल्कि इन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहे हैं, कुछ को सफलता भी मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी किसी भी लेखन को पाठ्यक्रम, संदर्भ-ग्रंथ या पाठ्य-पुस्तक में तभी स्थान मिले, जबकि वह आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती हो। अंततः आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विज्ञान-सम्मत तत्वों का आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर परीक्षण और प्रमाणीकरण किया जाए। वैज्ञानिकों और संस्कृत विद्वानों के संयुक्त प्रयास, समर्पित शोध पीठों और दीर्घकालिक परियोजनाओं के माध्यम से परंपरा को भावनात्मक बहस का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय बनाया जाए। यही संतुलित दृष्टि भारतीय शिक्षा को वैज्ञानिक भी बनाएगी और बौद्धिक रूप से परिपक्व भी।

डॉ. मनमोहन प्रकाश

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

पीएमश्री विद्यालय के वार्षिकोत्सव में झलकी प्रतिभा बच्चों को दी गई भावुक विदाई

लालगंज (रायबरेली)। ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर स्थित पीएम श्री विद्यालय राजकीय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। बच्चों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखा। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ओझा मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शैल शुक्ल, एआरपी गैरवदीय यादव, विभव तिवारी और आशीष पटेल मौजूद रहे। हेडमास्टर महेंद्र यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। रंगारंग कार्यक्रम में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। गीत, नृत्य और नाटक ने सभी का मन मोह लिया। अतिथियों ने खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कक्षा आठ के बच्चों को भावुक माहौल में विदाई भी दी गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चे अब निजी स्कूलों के बराबर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। यह शुभ संकेत है। शैल शुक्ल ने भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सराहना की। कहा कि सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के सपनों को पंख मिल रहे हैं। हेडमास्टर महेंद्र यादव ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन मनोज मिश्रा और ज्योति वर्मा ने किया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ अमिता, जोशीफ, सीता, कविता, मिधी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।

शोहरतगढ़ विधायक ने मंदिर निमार्ण गुणवत्ता पर सवाल उठाया

पर्यटन मंत्री से मिलकर पल्टादेवी मंदिर निमार्ण कार्य जांच कि मांग की

सिद्धार्थनगर, प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से विधायक विनय वर्मा ने भेंट अपने विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़ अंतर्गत पलटा देवी मंदिर में कराए गए कार्य की अत्यंत गुणवत्ता विहीन एवं स्थानीय जनता में व्याप्त रोष के विषय में अवगत कराया। इसके साथ ही, समय माता मंदिर में सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के बावजूद अब तक कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर भी चर्चा की गई एवं आगे होने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही या समझौता न हो।

प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ने विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं मानकों से किसी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी कार्य में कमी पाई गई तो ठेकेदार एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्काउट गाइड प्रतिभागियों ने सीखा टेन्ट पिचिंग, गाँठ और बंधन

बस्ती। बस्ती जिले में स्काउट गाइड प्रतिभागियों ने सीखा टेन्ट पिचिंग, गाँठ और बंधन, कैम्प के औजार आदि के बारे में प्रशिक्षकों ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी, यह जानकारी देते हुए प्राचार्या डॉ अमिता सक्सेना ने बताया कि तीन दिवसीय स्काउट गाइड सोपानों का प्रशिक्षण वाकई में प्रतिभागियों में काफी परिवर्तन लाने वाला होता है, आगे के प्रशिक्षण के लिए भी सभी जरूरी औपचारिकता का पूरी तरह से प्रशिक्षकों द्वारा ध्यान रखा जा रहा है, यह विचार वह पीएमश्री नवोदय विद्यालय रुधौली के परिसर में चल रहे तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा बनाये गए टेन्ट, गैजेट्स और रंगोली आदि का निरीक्षण करते हुए व्यक्त किया, लीडर ट्रेनर डॉ कुलदीप सिंह, लीडर ट्रेनर सत्या पाण्डेय, सहायक लीडर ट्रेनर प्रताप शंकर पाण्डेय और एडवांस स्काउट मास्टर विजय कश्यप ने बच्चों को गाँठ बंधन गैजेट्स, स्काउट गाइड वर्दी, बिना बर्तन का भोजन बनाना, ध्वजारोहण, ध्वज की जानकारी, बीपी सिक्स, मीनार आदि बनाने के बारे में जानकारी दी, इस अवसर पर उप प्राचार्य राकेश शर्मा, स्काउट इंचार्ज आलोक कुमार सिंह, गाइड इंचार्ज सुनीता देवी, साक्षी मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।

मलिहाबाद स्वतंत्र प्रभात के पत्रकार की जबरदस्त पहल! भ्रष्ट अफसर सोए रहे, राहुल कुमार ने खुद नाला साफ करा जनता को दी राहत- शर्म से डूब मरो प्रशासन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। (लखनऊ) स्वतंत्र प्रभात की पहलः पत्रकार राहुल कुमार ने जनता के हित में कराया रोड पर बहता नाला साफ, भ्रष्ट प्रशासन की पोल खोल दी : स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं को उठाने और उनका समाधान कराने में स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र की सक्रिय भूमिका एक बार फिर सामने आई है। दतली- पहाड़पुर मार्ग पर अटौरा गांव में सड़क पर सालों से बह रहा नाला अब साफ हो गया है। यह सराहनीय कार्य स्वतंत्र प्रभात के पत्रकार राहुल कुमार ने जेसीबी मशीन लगवाकर कराया, जिसमें करीब 3 घंटे से अधिक समय लगा।इस दौरान पत्रकार राहुल कुमार ने न केवल रोड पर बहते नाले को पूरी तरह साफ कराया, बल्कि करीब 30 मीटर हल्का गहरा कच्चा नाला भी खुदवाया और लगभग 60 मीटर क्षतिग्रस्त नाले की सफाई भी सुनिश्चित की। पूर्व प्रधान दिनेश कुमार तथा क्षेत्र के समस्त ग्रामीणों की मांग पर यह कार्य जनता के हित में किया गया, जिससे अब स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी।यहां सवाल यह उठता है कि मलिहाबाद के अंधे-बहरे और भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी इस काम को क्यों नहीं करा रहे थे? न तो खबर चलने से उन्हें कोई फर्क पड़ता है और न ही लिखित आवेदन देने पर कोई कार्रवाई होती है। पुरवा से पहाड़पुर तक पूरी सड़क पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में जो जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की थी, वह एक जागरूक पत्रकार ने निभाई।पत्रकार राहुल कुमार का यह प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्ची पत्रकारिता सिर्फ खबर दिखाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समस्या का समाधान भी कराती है। मलिहाबाद के शासन-प्रशासन को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि एक पत्रकार को वह काम करना पड़ रहा है, जो उनकी ड्यूटी है। स्वतंत्र प्रभात हमेशा जनता के साथ खड़ा रहेगा और ऐसी समस्याओं को उजागर कर उनका निदान कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल की जमकर सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसे कार्य होते रहेंगे।

पुलिस ने दो शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, दो बाइकें बरामद

कोंच (जालौन)- कोतवाली पुलिस दो शातिर बाइक चोरों को चोरी की दो मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस उपलब्धि पर जिले के पुलिस कप्तान डॉ दुर्गेश कुमार ने पुलिस टीम को शाबाशी दी है। जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश बहादुर सिंह पुलिस टीम चेकिंग पर थे तभी मुखबिर की सूचना पर दो शातिर वाहन चोरों को चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वाहन चोर विनोद कुमार पुत्र सुखई निवासी ग्राम खैरी थाना कैलिया ने बताया कि उसने नवंबर 2025 में कस्बे की बल्दाऊ धर्मशाला के पास से एचएफ डीलक्स नंबर यूपी 92 एए 3823 की चोरी की थी। दूसरे आरोपी महेश कुमार पुत्र दयाल सिंह निवासी ग्राम खैरी थाना कैलिया ने बताया है कि उसने वर्ष 2022 में मप्र के थाना डबरा क्षेत्र से बाइक बजाज प्लैटिना नंबर एमपी 07 एनजे 1337 को चोरी किया था। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा थाना डबरा सूचना दे दी है। अभियुक्तगणों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है।

कोतवाली में ई रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत

● निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर सम्पन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। नगर में बढ़ती जाम की समस्या और टप्पेबाजी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए को कोतवाली परिसर में मंगलवार को ई-रिक्शा चालकों की बैठक बुलाई गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने चालकों को सख्त निर्देश दिए। उन्हें साफ कहा गया कि सवारियां केवल निर्धारित स्टैंड से ही बैठाएं। सड़क किनारे या बाजार के बीच वाहन खड़ा कर सवारी न बैठाएं। इससे जाम लगता है और अव्यवस्था फैलती है। पुलिस ने अज्ञात और नकाबपोश सवारियों पर विशेष नजर रखने को कहा। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। छोटी सी सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि एक साथ झुंड बनाकर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। इससे यातायात बाधित होता है। आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि नगर में यात्रियों के साथ टप्पेबाजी की शिकायतें मिल रही हैं। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए चालकों का सहयोग जरूरी है। बैठक में जलील, सोमेश कटियार, रामखेलावन, अशोक, आशीष द्विवेदी, राहुल, विकास और प्रसन्न कुमार सहित कई चालक मौजूद रहे।

डंपर से भिड़ी पिकअप, चालक समेत चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत

● कटर मशीन से काटकर पिकअप सवार तीनों को बाहर निकाला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। बांदा से टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात बदई का पुरवा गांव के पास गिट्टी लदे डंपर और पिकअप वाहन की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पिकअप वाहन डंपर के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गया और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में चाचा भतीजा समेत तीन वाहन चालक की मौत हो गई। डंपर हमीरपुर के कबरई से गिट्टी लादकर बनारस की ओर जा रहा था जबकि पिकअप जौनपुर से दिल्ली लौट रही थी। बदई का पुरवा के पास रात करीब साढ़े बारह बजे दोनों वाहन आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों लोग वाहन के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद ग्राइंडर से वाहन को काटकर तीनों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक पिकअप चालक रोहित (26) पुत्र जवाहरलाल निवासी मूर्ति बिहार चौक, शिकारपुर, बुलंदशहर, वाहन स्वामी विपिन (36) पुत्र प्रेमचंद्र निवासी विश्वास नगर, संजय अमर कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली तथा उनके चाचा अखिलेश सरोज (45) पुत्र फूलचंद्र निवासी कुंवरपुर पवारा, जौनपुर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक विपिन के चाचा बालचंद्र सरोज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

ललितपुर। कोतवाली ललितपुर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री 16 फरवरी 2026 की रात करीब 10.30 बजे घर पर थी। इसी दौरान बड़ापुरा निवासी युवक राजीव नाम का युवक उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। पीड़िता की मां ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही उन्होंने अपनी पुत्री की काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और परिचितों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। आरोपी युवक को कई बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, जिससे परिजन और अधिक चिंतित हो गए। शिकायत में यह भी बताया गया है कि लापता किशोरी के पहनावे और हुलिए की जानकारी पुलिस को दी गई है, ताकि तलाश में सहायता मिल सके। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली है।

'अरावली पर नया संकट' का अंग्रेजी संस्करण अमेरिका से प्रकाशित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

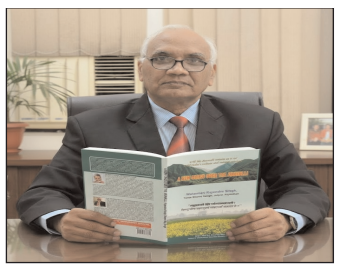

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अरावली पर्वतमाला पर मंडरा रहे गंभीर और बहुआयामी संकट पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक 'अरावली पर नया संकट' का अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन 16 फरवरी 2026 को लूलू पब्लिकेशन अमेरिका द्वारा किया गया है जिसका आई एस.बी.एन. : 978-1-105-67866-0 है। इस पुस्तक के लेखक भारत के सुप्रसिद्ध जल-संरक्षण कार्यकर्ता एवं जलपुरुष डॉ. राजेन्द्र सिंह (तरुण भारत संघ, जयपुर, राजस्थान) हैं तथा पुस्तक का संपादन पर्यावरणविद् एवं महानिदेशक (तकनीकी), स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़, लखनऊ-226501 के प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह द्वारा किया गया है। यह पुस्तक अरावली पर्वतमाला के समक्ष उपस्थित नए संकटों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। खनन-आधारित तथाकथित विकास, पर्यावरणीय कानूनों के शिथिलीकरण तथा नीतिगत असंतुलन ने अरावली के जलस्रोतों, वन आच्छादन और पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर खतरे में डाल दिया है। इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि अरावली केवल पर्वत-शृंखला नहीं, बल्कि उत्तर और पश्चिम भारत की जलवायु एवं वर्षा-चक्र का प्राकृतिक सुरक्षा-कवच है। इसका क्षरण भूजल स्तर में गिरावट, कृषि संकट, युवाओं में बेरोज़गारी तथा सामाजिक अस्थिरता जैसे व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। लेखक और संपादक ने इस तथ्य को सशक्त रूप से स्थापित किया है कि अरावली का संकट केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि जल-सुरक्षा, खाद्य-सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा भावी पीढ़ियों के अधिकारों से जुड़ा राष्ट्रीय प्रश्न है। अतः अरावली का संरक्षण हम सभी का सामूहिक और राष्ट्रीय दायित्व है। यह पुस्तक नीति- निर्माताओं, पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं जनसामान्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगी।

वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं में होम्योपैथी की भूमिका विषय पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्याख्या का आयोजन किया गया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र लखनऊ द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को सायं 4:00 बजे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भवन, आई.ई.आई., रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ में 'वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं में होम्योपैथी की भूमिका' विषय पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. नीरज वर्मा, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (होम्योपैथी), वाराणसी मंडल, उत्तर प्रदेश ने सहभागिता की। अपने व्याख्यान में उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों एवं कमर का दर्द, बार-बार खांसी व श्वसन संबंधी समस्याएं (दमा), पाचन संबंधी विकार जैसे कब्ज एवं गैस, मूत्र संबंधी समस्याएं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, अवसाद, स्मरण शक्ति में कमी (Memory Loss) तथा अन्य अपक्षयी (Degenerative) रोगों में होम्योपैथी की प्रभावी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. वर्मा ने बताया कि होम्योपैथी उपचार पद्धति शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करती है तथा न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह उपचार पद्धति सुरक्षित, किफायती एवं विश्वसनीय विकल्प के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सही निदान एवं योग्य चिकित्सकीय परामर्श के साथ होम्योपैथी अनेक दीर्घकालिक रोगों में सकारात्मक परिणाम देती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता The Institution of Engineers (India) के उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ के अध्यक्ष इं. वी. पी. सिंह द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण, जागरूकता एवं समुचित मार्गदर्शन के लिए इस प्रकार के व्याख्यान अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी ऐसे जनोपयोगी एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी।इस अवसर पर इं. वी. बी. सिंह, आईपी प्रेसिडेंट भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त संस्था के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. जसवंत सिंह (आईपी मानद सचिव) ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं समन्वय संस्था के मानद सचिव इं. एन. के. निषाद द्वारा किया गया। उन्होंने सभी उपस्थित अभियंताओं, चिकित्सकों एवं गणमान्य सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

कूड़े को समाधान में बदला, हरियाली को पहचान दिलाईः डॉ. अरविंद कुमार राव का ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने किया सम्मान!

● शिवरी कचरा निस्तारण प्लांट से रूफ टॉप गार्डनिंग तक, लखनऊ मॉडल को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। शहर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और शहरी नवाचार को नई दिशा देने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार राव का शुक्रवार को नागरिक संगठन ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासमिति द्वारा सम्मान किया गया। महासमिति के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा, महासचिव विवेक शर्मा, उपाध्यक्ष रितेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष सौरभ सिंह तथा जितेन्द्र सिंह ने डॉ. राव से शिष्टाचार भेंट कर अभिनंदन पत्र सौंपा और उनके कार्यों को लखनऊ के लिए मील का पत्थर बताया। डॉ. राव के कार्यकाल में नगर निगम लखनऊ ने पर्यावरणीय चुनौतियों को अवसरों में बदला। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अपनाए गए नवाचारों के चलते शहर को वर्षों से चली आ रही कचरा समस्या से बड़ी राहत मिली। शिवरी कूड़ा निस्तारण प्लांट और C&D प्लांट के माध्यम से लाखों मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण कर लखनऊ को स्वच्छता की दिशा में नई पहचान दिलाई गई। शहर की हरियाली और सौंदर्यीकरण के प्रयासों का असर प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी-2026 में भी दिखा। इस प्रदर्शनी में नगर निगम लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पार्कों के बेहतर रखरखाव के लिए प्रथम तथा रूफ टॉप गार्डनिंग मॉडल के लिए द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। ये पुरस्कार महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदान किए गए। डॉ. राव की कार्यशैली की गूंज प्रदेश के बाहर तक पहुंची। शिवरी प्लांट के जरिए किए गए कचरा निस्तारण की प्रशंसा बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने की, वहीं बृहन्मुंबई महानगर निगम को लखनऊ नगर निगम के मॉडल से सीख लेने की सलाह दी गई। यह उपलब्धि लखनऊ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के समान मानी जा रही है। केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि निराश्रित गोवंश की देख-रेख में भी डॉ. राव के प्रयासों की सराहना हो रही है। कान्हा उपवन गौशाला के कायाकल्प के माध्यम से पशु-कल्याण और जीव-सेवा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, जिससे शहर में मानवीय और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल कायम हुई। सम्मान समारोह के दौरान महासमिति पदाधिकारियों ने कहा कि डॉ. अरविंद कुमार राव का कार्यकाल दिखाता है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉ. राव ने नागरिक संगठनों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छ और हरित लखनऊ की दिशा में यह सामूहिक प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

सोनभद्र कलेक्ट्रेट में टीडीएस कटौती पर कार्यशाला जिलाधिकारी ने दिए वेतन से नियमित टैक्स कटौती के निर्देश

● वेतन से एकमुश्त नहीं, किस्तों में कटेगा टैक्स

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र। 17 फरवरी, 2026 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आयकर प्रबंधन को सुगम बनाने तथा टीडीएस (TDS) कटौती में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी श्री बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आयकर विभाग के विशेषज्ञों ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) को आवश्यक तकनीकी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आयकर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस की कटौती वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त करने के बजाय नियमित रूप से की जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि। टीडीएस की कटौती को आवश्यकतानुसार लगभग 12 किस्तों में विभाजित किया जाए। इससे वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारियों पर अतिरिक्त कर भार (Ta& Burden) की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सभी डीडीओ यह सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों की आय कर योग्य श्रेणी में है, उनकी कटौती अनिवार्य रूप से की जाए। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) रिटर्न की फाइलिंग को लेकर कड़े निर्देश दिए। टीडीएस रिटर्न की फाइलिंग तय समय के भीतर और नियमित रूप से की जाए। प्रत्येक तिमाही में कटौती का मिलान (Reconciliation) संबंधित विवरणों से अवश्य किया जाए ताकि डेटा में कोई विसंगति न रहे। संबंधित कार्यालय कर्मचारियों से आवश्यक निवेश प्रपत्र (Investment Proofs) समय पर प्राप्त कर लें। कार्यशाला में बताया गया कि आयकर अधिनियम में हालिया परिवर्तनों के अनुसार आयकर दरों और कुछ प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं। हालांकि, टीडीएस कटौती और रिटर्न फाइलिंग की मूल प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का अक्षरश पालन करने की चेतावनी दी है। इस सेमिनार में आयकर विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संजीव कुमार पांडे (डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इलाहाबाद) अंसल पांडे (इनकम टैक्स ऑफिसर, टीडीएस, इलाहाबाद) इन्द्रभान सिंह (वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र) शिव कुमार पांडे (इनकम टैक्स इंस्पेक्टर) मिथुन कुमार, आलोक कुमार मिश्रा एवं अन्य संबंधित कर्मचारीगण। जिलाधिकारी का संदेश वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समय पर टीडीएस कटौती और फाइलिंग अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित डीडीओ जि मेदार होंगे।

गठन सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदमः बस्ती में भाजपा की जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

● संगठन सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदमः बस्ती में भाजपा की जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला

● आयोजितकार्यकर्ता निर्माण ही संगठन की शक्तिः पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान की जिला कार्यशाला सम्पन्न

● बूथ स्तर तक प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियानविचार, व्यवहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले मेंभारतीय जनता पार्टी द्वारा जनपद बस्ती में प्रारंभ किए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला मंगलवार को भाजपा कार्यालय सभागार में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रशिक्षण महाभियान की रूपरेखा, उद्देश्य एवं कार्यपद्धति से कार्यकर्ताओं को अवगत कराना रहा। प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर तीन दिवसीय, जिला स्तर पर दो दिवसीय, मंडल स्तर पर 24 घंटे तथा बूथ स्तर पर दो सत्रों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला में पार्टी के जिला प्रभारी डा. समीर सिंह एवं जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने उपस्थित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण अभियान को लेकर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला का संचालन पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं प्रशिक्षण महाभियान के जिला संयोजक प्रत्युष सिंह ने किया। पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण वर्ग बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे, जिससे संगठन की जड़ें और अधिक सुदृढ़ हों। डा. समीर सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यकर्ता को तराशने की प्रक्रिया है। व्यक्ति निर्माण से ही संगठन का निर्माण होता है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान को संगठन सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को विचार, व्यवहार और नेतृत्व के स्तर पर समृद्ध करेगा। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्म मानववाद के दर्शन को भाजपा की कार्यसंस्कृति की आधारशिला बताया।

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि यह प्रशिक्षण महाभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त, अनुशासित और सेवा भाव से ओत-प्रोत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन 'एक देश, एक विधान' का संदेश देता है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद राजनीति को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से जोड़ता है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा एक संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित और विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है।

श्री मिश्र ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को अपने आचरण में उतारते हुए संगठन एवं राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ें। कार्यशाला में जिले में निवास करने वाले प्रदेश व क्षेत्र पदाधिकारी, जिला एवं मंडल प्रशिक्षण टोली, मण्डल प्रभारी एवं मण्डल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला मोर्चा अध्यक्ष एवं महामंत्री, प्रकोष्ठ, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, निवर्तमान विधानसभा प्रत्याशी, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, प्रदेश एवं जिला, सहकारी संघ एवं बैंक के अध्यक्ष सम्मिलित हुए।

संक्षिप्त खबरें

महरौनी मंडी में करोड़ों के गबन का खुलासा

पूर्व मंडी सचिव ग्रजेश तिवारी पर धारा 409 में मुकदमा दर्ज

महरौनी। महरौनी कृषि उपज मंडी में करोड़ों रुपये के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों के संकेत मिलने के बाद पूर्व मंडी सचिव गिरिजेश तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, मामले की जांच टीम में उप जिलाधिकारी महरौनी रजनीश बाजपेई, वर्तमान मंडी सचिव अनूप यादव तथा संबंधित अधिकारी स्वप्निल पंडा शामिल रहे।

अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड एवं वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच के दौरान करोड़ों रुपये के गबन के संकेत मिले। आरोप है कि पूर्व मंडी सचिव ने फर्जी अभिलेखों और कागजात के माध्यम से सरकारी/मंडी धनराशि का दुरुपयोग किया। मामले में धारा 409 लगाई गई है, जो लोक सेवक या भरोसेमंद पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of Trust) से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर कठोर दंड का प्रावधान है। प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच लगातार जारी है और सभी संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। यदि जांच में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडी में करोड़ों के इस कथित घोटाले के खुलासे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। व्यापारी वर्ग और आमजन अब निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

उर्वरक सब्सिडी नीति में सुधार की उठाई मांग

एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

ललितपुर। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन ने उर्वरक सब्सिडी नीति में सुधार, यूरिया के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर देश के प्रधानमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने वर्तमान उर्वरक मूल्य संरचना में व्याप्त असंतुलन पर चिंता जताते हुए कहा है कि सस्ते यूरिया और महंगे एनपीके/डीएपी उर्वरकों के कारण किसान मजबूरी में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एसोसिएशन के अनुसार वर्तमान में 45 किलोग्राम यूरिया की कीमत मात्र 266 है, जबकि एनबीएस नीति के चलते एनपीके ग्रेड उर्वरकों की कीमत 2100 प्रति 50 किलोग्राम तक पहुंच गई है। इस बड़े मूल्य अंतर के कारण मिट्टी अ लीय हो रही है और सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, जो दीर्घकाल में कृषि उत्पादन के लिए घातक है।

यूरिया गोल्ड मॉडल का प्रस्ताव

ज्ञापन में एक क्रांतिकारी समाधान सुझाते हुए सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) और जिंक युक्त यूरिया को बढ़ावा देने की मांग की गई है। प्रस्ताव के अनुसार, इन्हें 500 प्रति 40 किलोग्राम की दर से चरणबद्ध तरीके से बाजार में लाया जाए तथा वर्तमान नाइट्रोजन आधारित यूरिया का उत्पादन हर वर्ष 20 प्रतिशत घटाया जाए। साथ ही, यूरिया पर बचने वाली सब्सिडी को एनपीके और डीएपी उर्वरकों की ओर स्थानांतरित कर उनकी कीमत क्रमशः अधिकतम 1500 और 1350 प्रति 50 किलोग्राम तय करने की मांग की गई है, जिससे किसानों को संतुलित पोषण मिल सके और सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े।

मृदा व पर्यावरण के लिए लाभकारी

एसोसिएशन ने बताया कि वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सल्फर कोटेड यूरिया एक स्लो-रिलीज उर्वरक है, जिससे मिट्टी की खराबी में 25 से 30 प्रतिशत तक कमी आती है। इसकी उपयोग क्षमता 50 से 60 प्रतिशत तक होती है, जबकि सामान्य यूरिया की क्षमता मात्र 30 से 40 प्रतिशत रहती है। इसके अलावा, यह भूजल प्रदूषण को भी रोकने में सहायक है।

नीतिगत स्पष्टता की मांग

ज्ञापन में उर्वरक कंपनियों द्वारा एक ही ग्रेड के अलग-अलग मूल्य तय किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से पुनः प्रत्येक ग्रेड की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने और पोटाश की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने की मांग की है, जिससे गन्ना जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित न हो। अंत में जिला अध्यक्ष महेश जैन मोनू ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर प्रत्यक्ष भेंट कर जमीनी समस्याओं और समाधानों पर विस्तार से चर्चा करने का समय देने की अपील की है।

यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू: 52 लाख से अधिक छात्र देंगे हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज/लखनऊ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाएं आज यानी 18 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। इस वर्ष कुल 52,30,297 छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, जो एशिया की सबसे बड़ी स्कूल परीक्षा प्रक्रियाओं में से एक है। परीक्षाएं 12 मार्च 2026 तक चलेंगी और राज्य भर के 8,033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की शुरुआत दोनों कक्षाओं में हिंदी विषय से हुई है। परीक्षाएं दो पालियों में हो रही हैं - सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक। बोर्ड ने परीक्षाओं को नकलमुक्त और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने प्रयागराज में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया, जहां से परीक्षाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है।

छात्रों की सं या और वर्गीकरण

इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा के लिए 27,50,945 छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें 14,38,682 लड़के और 13,12,263 लड़कियां शामिल हैं। वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 24,79,352 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 13,03,012 लड़के और 11,76,340 लड़कियां हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इंटरमीडिएट के पंजीकरण में 2,25,657 की कमी आई है, जबकि हाईस्कूल के पंजीकरण में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए स त कदम उठाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे मोबाइल जैमर और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यदि कोई छात्र नकल में पकड़ा जाता है, तो उसे शैक्षणिक दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें परीक्षा से निष्कासन शामिल हो सकता है।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं में चुनौतियां

इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में 4,372 छात्र अनुपस्थित रहे या परीक्षा नहीं दे सके। बोर्ड ने इन छात्रों को लिखित परीक्षाओं के बाद दूसरा मौका देने की घोषणा की है। प्रैक्टिकल परीक्षाओं का पहला चरण फरवरी के पहले सप्ताह में और दूसरा चरण दूसरे सप्ताह में आयोजित किया गया था।

परीक्षा दिशानिर्देश और सलाह

छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30-60 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड, पेन और आवश्यक स्टेशनरी के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। बोर्ड ने ओएमआर शीट के लिए स त नियम लागू किए हैं, जिसमें गलत भरने पर अंक कटौती हो सकती है।

यूपीएमएसपी के सचिव ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। सभी छात्रों से अपील है कि वे मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा दें।' राज्य सरकार ने परीक्षाओं के दौरान बिजली और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

छात्रों के लिए टिप्स (एग्जाम हॉल और तैयारी के लिए)

- परीक्षा से एक रात पहले हल्का भोजन करें और कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें।
- सुबह उठकर हल्की एक्सरसाइज या गहरी सांस लें, इससे दिमाग तरोताजा रहेगा।
- परीक्षा हॉल में शांत रहें, घबराहट को नियंत्रित करें और गहरी सांस लेकर फोकस बनाए रखें।
- उत्तर लिखते समय पहले आसान सवाल हल करें, समय बचे तो मुश्किल सवालों पर लौटें।
- हर उत्तर में साफ हैंडराइटिंग बोल्ड हेडिंग नंबरिंग और

बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें।

- डायग्राम, टेबल या ग्राफ बनाते समय साफ-सुथरा बनाएं और सभी लेबल जरूर लगाएं - इससे पूरे अंक मिलते हैं।
- अंतिम 5-7 मिनट में उत्तर शीट को जल्दी से चेक करें - कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूटा हो तो जोड़ लें।
- ओएमआर शीट भरते समय रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड दोबारा जांच लें, गलती होने पर अंक कट सकते हैं।
- पानी की पारदर्शी बोतल साथ रखें, लेकिन किसी भी तरह का पेपर या नोट्स न ले जाएं।

यह परीक्षा न केवल छात्रों के भविष्य को आकार देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की मजबूती को भी दर्शाएगी। बोर्ड ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे शांतिपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए परीक्षा दें। मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता निश्चित है!

भव्य कलश यात्रा के साथ तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ

तालबेहट। टेकरी स्थित माँ शबरी आश्रम की पहाड़ी पर निर्मित राम शबरी मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन हजारिया महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी सं या में महिलाएं, युवा और श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों–रानीपुर, पुराने पेट्रोल पंप, रामलीला मैदान, बस स्टैंड और नए बस स्टैंड से होती हुई टेकरी स्थित आश्रम परिसर पहुंची, जहां विधि-विधान के साथ कलश यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में सबसे आगे पीतांबर और केसरिया ध्वज फहराते हुए युवाओं की सुसंगठित टोलियां चल रही थीं। इसके बाद विभिन्न महापुरुषों की आकर्षक झांकियां और भगवान के स्वरूप सजाए रथ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। सबसे पीछे मंगलगान करती सैकड़ों महिलाओं की टोलियां भक्ति रस घोलती नजर आईं। ढोल-नगाड़ों की गूंज और जयघोषों के बीच पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में रंग गया। युवाओं द्वारा 'जय श्रीराम' के उद्घोष से वातावरण गूंजता रहा। आयोजन समिति के अनुसार आगामी दो दिनों तक मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन-पूजन एवं प्रवचन एवं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के दौरान समिति पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय रहे।

दिल्ली के सदर बाजार में अवैध पटरी वालों का कब्जा सड़क पर अतिक्रमण जारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
बादल हुसैन

नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का सदर बाजार एशिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध थोक बाजारों में से एक माना जाता है, यह अपनी सस्ती दरों पर घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और अन्य उत्पादों की विशाल रेंज के लिए जाना जाता है और पूरे उत्तर भारत से ग्राहकों को आकर्षित करता है। एशिया के सबसे बड़े बाजार में शुमार सदर बाजार में एक बार फिर से अतिक्रमण की समस्या बढ़ गई है। मार्केट में अतिक्रमण की समस्या बढ़ने से व्यापारियों और यहां खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को साफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध पटरी ठेला और दुकानों के आगे सामान रखने से रास्ते संतरे हों जाते हैं, जिससे भीड़ ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी दिक्कते जैसे भगदड़ का ख़तरा पैदा होती है, पिछले दिनों इसी भीड़ में एक बच्चे की मौत हो गई थी। जब की हालही में इसके खिलाफ एमसीडी और पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन यह समस्या अब फिर दोबारा सदर बाजार में कुछ दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करते हुए अपने दुकानों के सामान रखना शुरू कर रहे हैं। जानकार सूत्रों ने बताया कि कुछ दुकानदारों की सह पर बाजार में पैसे लेकर बाहर के दुकानदारों को अतिक्रमण करने दिया जा रहा है। अब तों पुलिस महकमे पर भी सवाल उठने लगे हैं। कि देश की सबसे बड़ी मार्किट जाम और भीड़भाड़ से कराह रही हैं अखिर समय रहते हुए प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। आ फिर से भीड़ में किसी की मौत का इंतजार कर रही है।

ओबरा रात के अंधेरे में सड़क नवीनीकरण पर जनता का पहरा भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए रुकवाया काम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ओबरा (सोनभद्र) 7 17 फरवरी, 2026 ओबरा नगर के ओबरा हनुमान मंदिर से बजरंग नगर मु य मार्ग पर लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सोमवार की देर रात लगभग 11 बजे गुपचुप तरीके से शुरू किए गए सड़क नवीनीकरण कार्य को स्थानीय नागरिकों ने न केवल रोका, बल्कि विभाग की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से सड़क की पटरियों से धूल और कंक्रीट हटाने का काम चल रहा था। नगरवासियों को लगा कि महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में नगर की सफाई की जा रही है। लेकिन 16 फरवरी की रात जब भारी मशीनरी और तारकोल बिछाने की तैयारी शुरू हुई, तो मामला सफाई से बदलकर सड़क नवीनीकरण का निकला। मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता की मौजूदगी में नागरिकों ने तीखी बहस की और नि नलिखित बिंदुओं पर जवाब मांगा। स्थानीय लोगों का तर्क है कि सड़क की मौजूदा हालत काफी अच्छी थी। ऐसे में बिना किसी तकनीकी खराबी के दोबारा डामरीकरण करने की क्या आवश्यकता थी? क्या इसका कोई कंडीशन सर्वे सार्वजनिक किया गया? नियमतः किसी भी सरकारी कार्य के शुरू होने से पहले उसकी लागत, लंबाई और कार्यदायी संस्था का विवरण देने वाला सूचना पट्ट (Work Board) लगाना अनिवार्य है, जो मौके पर नदारद था। रात के अंधेरे में चल रहे काम के दौरान बैरिकेडिंग या रि लेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था, जिससे राहगीरों की जान को खतरा हो सकता था। मौके पर मौजूद श्रमिकों के सुरक्षा उपकरण और श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर भी विभाग के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कार्य 6 माह पूर्व स्वीकृत हुआ था और टेंडर 2 माह पहले आवंटित हो चुका था। हालांकि, रात में कार्य शुरू करने की जल्दबाजी पर अधिकारी जनता को संतुष्ट नहीं कर सके। जब सड़क पहले से ही चलने लायक है, तो सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों? रात के 11 बजे ही काम शुरू करना पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। नागरिकों के भारी विरोध और हंगामे के चलते कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया है कि जब तक विभाग कार्य की लागत, तकनीकी आधार और गुणवत्ता मानकों का विवरण सार्वजनिक नहीं करता, तब तक एक इंच भी काम आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब इस मामले में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। क्या उच्चाधिकारी इस कार्य की तकनीकी जांच कराएंगे या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

एडीएम प्रशासन ने कुमारगंज थाने का किया निरीक्षण

● खामियों को ठीक करने के दिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिल्कीपुर, अयोध्या एडीएम प्रशासन अयोध्या अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि अपर मु य सचिव गृह के आदेशानुसार जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में जितने भी थाने हैं, उन पर एक-एक वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके तहत आज मिल्कीपुर तहसील के कुमारगंज थाने का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन ने थाना परिसर में स्थित बंदी गृह, कार्यालय, महिला हेल्पलाइन, आवास, मालखाना और विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में साफ-सफाई में कुछ कमियां पाई, जिन्हें जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, एडीएम ने कहा कि जो भी अन्य कमियां मिली हैं, उन्हें शीघ्र ठीक किया जाएगा ताकि थाना परिसर का कार्य सही तरीके से चल सके। थाना परिसर में निरीक्षण करते हुए एडीएम को यह भी जानकारी मिली कि थाना प्रसार में जो हैंडपंप लगाया गया है, वह दूषित पानी दे रहा है।

इस पर एडीएम प्रशासन ने जल्द ही उसे ठीक कराने का आदेश दिया ताकि आगामी दिनों में आने वाले लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान कुमारगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार, उपनिरीक्षक समेत और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। एडीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस थाना में सभी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलें, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। इस निरीक्षण के माध्यम से प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि पुलिस थाना परिसर में साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से दुरुस्त रहें, और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

श्रीभूमि जिले के सीपाछड़ा में पारिवारिक जमीन विवाद में झूठे बदनाम करने के आरोपों को गाँववासियों और 4 नंबर वार्ड सदस्य ने किया खारिज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि श्रीभूमि जिले के सीपाछड़ा में पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर लगाए गए आरोपों को गाँववासियों और 4 नंबर वार्ड सदस्य ने सिरे से खारिज कर दिया है। श्रीभूमि जिला के अंतर्गत दुल्लभछड़ा खंड विकास क्षेत्र की दुल्लभछड़ा ग्राम पंचायत के सीपाछड़ा गाँव के 4 नंबर वार्ड के ग्रामीणों और वार्ड सदस्य ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उसी गाँव के निवासी रंजू तेली ने मीडिया के समक्ष शिकायत की थी कि पारिवारिक जमीन विवाद में दीप नारायण ग्वाला, मिलन तेली और टिंकू माला की संलिप्तता है। हालांकि ग्रामीणों और संबंधित वार्ड सदस्य का कहना है कि यह मामला पूर्णतः पारिवारिक है और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे, बेबुनियाद तथा उद्देश्यपूर्ण हैं। उनका यह भी दावा है कि अभद्र व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। गाँववासियों के अनुसार, राम शंकर तेली ने विवादित जमीन पर किसी प्रकार का कब्ज़ा नहीं किया है। जलजमाव की समस्या के कारण वे कई वर्ष पूर्व ऊपरी टीले पर रहने लगे थे, जिसे उनकी पैतृक संपत्ति बताया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में रंजू तेली उक्त जमीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में 17 फरवरी (मंगलवार) को 4 नंबर वार्ड के कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक के निर्णय की प्रति थाना में जमा कराई जाएगी।

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामीणों ने बताया कि पूर्वजों के बीच भूमि बंटवारे के अनुसार राम शंकर तेली के पिता और रंजू तेली के पिता को अलग-अलग हिस्से प्राप्त हुए थे। जिस जमीन को लेकर वर्तमान में विवाद उत्पन्न हुआ है, वह राम शंकर तेली का पैतृक हिस्सा ही है। उनका यह भी कहना है कि इस भूमि पर उनका परिवार कई वर्षों से अधिकारपूर्वक काबिज है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य टिंकू माला ने मीडिया को बताया कि जमीन विवाद के मामले में उन्हें, दीप नारायण गोयाला और मिलन तेली को जानबूझकर झूठे मामले में फँसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला पूर्णतः पारिवारिक है और इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सदैव गाँव के लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं। झूठे आरोपों के विरोध में उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कीमती सुपारी के पेड़ को काटना पूर्णतः अनुचित कार्य है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

बैठक में यह भी बताया गया कि रंजू तेली का विवाह ईचाबिले में हुआ था और पति की मृत्यु के बाद वे मायके में आकर रहने लगीं। ग्रामीणों के एक वर्ग का आरोप है कि इसके बाद ही जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। राम शंकर तेली ने कहा कि उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटा और उनके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह निराधार है। उनका आरोप है कि उन्हें कई झूठे मामलों में फँसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कानूनी समाधान की मांग की है। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण मामले के न्यायसंगत समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2025-26 का बिगुल बजा 22 फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र। फरवरी, 2026 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र की नई कार्यकारिणी के चयन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज बार एसोसिएशन की साधारण सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक वर्तमान अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2025-26 के लिए लोकतांत्रिक तरीके से नई प्रबंध समिति के गठन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट ने बताया कि इस वर्ष नई कार्यकारिणी के चयन के लिए कुल 546 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं का विवरण नि नवत है।आजीवन सदस्य 56, वार्षिक सदस्य 490, कुल मतदाता 546, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में वर्तमान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान मिले निरंतर सहयोग के लिए साधुवाद प्रकट किया। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह एडवोकेट ने आगामी चुनाव की समय-सारणी की घोषणा करते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया 22 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होकर 9 मार्च, 2026 तक चलेगी। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पाँच सदस्यीय एल्डर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नि नलिखित वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं। नाथ सिंह (अध्यक्ष)

मुश्ताक अली, निर्लेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रमेश चंद्र सिंह, छोटेलाल गौतम, एल्डर कमेटी के निर्देशानुसार, जल्द ही चुनाव अधिकारियों द्वारा नामांकन, वापसी और मतदान की तिथियों का विस्तृत चार्ट जारी किया जाएगा। साधारण सभा की इस बैठक का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने किया। इस गरिमामयी अवसर पर जनपद के प्रमुख अधिवक्ता उपस्थित रहे, जिनमें मु य रूप से रणजीत सिंह, श्याम बिहारी यादव, राजेश यादव, वीरेंद्र राव, चंद्रप्रकाश सिंह, टीटू गुप्ता, कामता प्रसाद यादव, रमेशचंद्र सिंह, प्रेम प्रताप विश्वकर्मा, राजेंद्र प्रसाद यादव, विमल प्रसाद सिंह, नवीन पाण्डेय, शैलेंद्र कुमार, सुरेश सिंह, दसरथ यादव और रामगुल्ली आदि शामिल थे।

सीतापुर लखीमपुर मैलानी पीलीभीत भोजीपुरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बरेली। 212 किमी रेलखंड के दोहरीकरण का फाइनल सर्वे मंजूर सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत-भोजीपुरा दोहरीकरण का नामित एजेंसी सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी, टेंडर प्रक्रिया जल्द दोहरीकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया जोरों पर है। सीतापुर लखीमपुर मैलानी पीलीभीत भोजीपुरा (212 किमी लंबे) रेलखंड के दोहरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रेलवे बोर्ड ने 23 दिसंबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से फाइनल लोकेशन सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है।यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के उप मु य इंजीनियर (निर्माण) राजेंद्र प्रसाद की ओर से पीलीभीत के सिविल लाइंस निवासी दीपक कुमार अग्रवाल को भेजे गए जवाब में दी गई। दीपक ने पीलीभीत रेलवे स्टेशन और मैलानी जंक्शन संबंधित रेलखंड के दोहरीकरण को लेकर तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। पत्र के अनुसार, सर्वे के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। नामित एजेंसी विस्तृत सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे दोहरीकरण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। पत्र में यह भी उल्लेख है कि लखनऊ-मैलानी रेलखंड के अंतर्गत मैलानी-सीतापुर खंड पर दोहरीकरण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

वहीं, सीतापुर-लखनऊ खंड के लिए अभी सर्वे स्वीकृत नहीं है और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। दीपक कुमार अग्रवाल ने टनकपुर-पीलीभीत-मैलानी खंड के दोहरीकरण की भी मांग उठाई थी। इस पर बताया गया कि पीलीभीत-टनकपुर खंड का दोहरीकरण परिचालन विभाग के निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जाएगा। डबल लाइन से बढ़ेगी र तार-वर्तमान में सिंगल लाइन होने के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन सीमित है। दोहरीकरण होने से ट्रेनों की सं या बढ़ाने, क्रॉसिंग समय घटाने और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में सुविधा मिलने की उ मीद है। क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।